25/5/18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय वकील उपस्थित पत्रावली अन्तर्गत दिनांक 31/5/18 को पत्रावली कैम्प आकडली में पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

31/5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प आकडली में पेश हुई। प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 2/1, 2/2 व 3 उपस्थित। दीगर विपक्षीगण संख्या 4 ता 6 अनु०

प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त रूप से जाहिर किया की प्रार्थीनी व विपक्षीगण संख्या 1 ता 3 के पैतृक हक हिस्से की खातेदारी भूमि सरहद मौजा थुम्बडी के खसरा नं० 155/71 रकबा 50 बीघा 00 बिस्वा भूमि में पैतृक हक हिस्से में मिली हुई थी। जिसमें प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या -1 ता 3 का 1/4 . 1/4 हिस्सा है जिसका प्रार्थीनी एवं विपक्षीगण संख्या 1 ता 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त अराजी में प्रार्थीगण के पिता इन्द्रसिंह के द्वितीय विवाह की पत्नि व सन्तानो प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 द्वारा राजस्व रेकर्ड अधिकारियों को गलत व भ्रामक तथ्यों के आधार पर अपने को इन्द्रसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होना बताकर अपना व अपने पुत्र विपक्षीगण संख्या 4 ता 6 का राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित करवा दिया तथा वादिनी जो कि आशिक्षित होना जानते हुए उनके हको

अनोपसिंह

सरस कवंर

टेकनकवर

शिवप्रतापसिंह

माधुसिंह

Scanned by CamScanner

पर कुठाराघात करने के आशय से उसका नाम तक अंकित न करवाकर द्वितीय पत्नि से उत्पन्न संतान को गलत तौर से भ्रम में वारिसान बताकर राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ कर राजस्व रेकर्ड में मिथ्या प्रविष्टि कर प्रार्थीनी के साथ बेइमानी से सदोष हानी कारित करने की गरज से व अपने स्वयं को फायदा पहुंचे इस गरज से गलत व भ्रामक तथ्यों से फोतगी म्यूटेशन पारित करवाया गया व राजस्व रेकर्ड में नाम आ जाने से विपक्षी जल्द 5 तथा 6 द्वारा बिना अपने हक स्वामित्व के व कब्जा काश्त की भूमि को बेचान करने में आमदा होने तथा प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने के साथ बेदखल करने की धमकी देने पर आमादा हो अगर विपक्षीगण अपने मनसूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय असुविधा होने के साथ अपने हक-हितों से महरूम रहने के साथ उनमें हितों पर जोखिम का आवरण हो जायेगा अतः प्रार्थीनी के पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा करने का निवेदन किया है।

पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थीनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	अत विपक्षीगण संख्या संख्या 2/1, 2/2 व 3 उपस्थित रहे। विपक्षीगण संख्या 4 ता 6 अनुपस्थित उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अर्जी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। व आदेश दिया जाता है कि ग्राम जुगडी के ख०न० 155/71 रकबा 50 बीघा 00 बिस्वा भूमि मे प्रार्थी के हक मे है। विपक्षीगण उक्त आराजी मे बाद कब्जा भूमि को बेचान, बक्शीस या हस्तान्तरण न करे व न ही अन्यत्र भूमि बेचान करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे राजस्व लोक अदालत कैम्प आगडली मे सुनाया गया। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner